प्रेषक,

शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)उ0प्र0,
डिग्री अर्थ-1(आयोग)
प्रयागराज।

सेवा में,

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियंत्रक
SNATKOTTAR MAHAVIDYALAYA MALIKPURA GHAZIPUR

पत्रांक : डिग्री अर्थ-1(आयोग)/ 288/2019-20 दिनांक 04/09/2019

विषय :- विज्ञापन संख्या-46 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रति आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय ,

कृपया अपने महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर (विषय HINDI) वेतनक्रम 15600-39100 ग्रेड पे 6000 में रिक्त पद का संदर्भ लें जो (जिस प्रोफेसर के प्रति रिक्त हुआ है उसका नाम DR KAILASH NATH PANDEY की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र/एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त रूप में उपलब्ध हैं।

2- उत्तर प्रदेश उच्चत्तर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने जिन अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हेतु सस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर (विषय HINDI) के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चत्तर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 के अंतर्गत आपके द्वारा उपरोक्त अधियाचन हेतु प्रेषित पद के प्रति धारा 13(3) के प्राविधानों के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

(प्रवक्ता का नाम SARVESH PANDEY)
पता-ROOM NO. 42S S.L. HOSTEL UNIVERSITY OF ALLAHABAD ALLAHABAD 211002,
-(उ0प्र0)।

श्रेणी -GENERAL,चयन श्रेणी -GENERAL
मेरिट सूची में क्रमांक-3

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3- अतः एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति-पत्र की प्रति प्रस्तुत करने के पश्चात तत्काल अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश निर्गत करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाय।

4- संबंधित अभ्यर्थी, प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अन्तर्गत उपबन्धित समयान्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को अनिवार्यतः संसूचित करेगा।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समयान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धतंत्र को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम- 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा- 57 के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र के विरूद्ध धारा- 58 की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी, परिणामतः शासन द्वारा प्रबन्धतंत्र अवक्रमित कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

6- यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार निर्धारित अवधि में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। जिससे आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पद के प्रति नियुक्ति के संबंध में मा0 न्यायालय का कोई स्थगन अंतरिम/अन्तिम बाध्यकारी आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निदेशालय को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

Scanned by CamScanner

7- संस्तुत अभ्यर्थी की आसन-व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में बिना अपरिहार्य कारणों के अपरिवर्तनीय होगी।

8- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात्, प्रभार प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें।

9- प्रबन्धतंत्र अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की आसन-व्यवस्था करते समय नियुक्ति-पत्र में शासनादेश संख्या-22/5/1982-का-2 दिनांक 27 जुलाई 1994 में दी गयी निम्न व्यवस्था का नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय:-

" यह नियुक्ति अनन्तिम है तथा जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो के सम्बन्ध में दावा झूठा है तो बिना किसी कारण बताये तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है के बारे में पूर्वाग्रह के बिना सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी। "

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

DIGITAL SIGNED BY
CN=VANDANA SHARMA, SERIALNUMBER=57e5f549bad1cd61b46b47ae5add0a05e44a7bcd79054fd7f77cb48fd1e55d7c, S=UTTAR PRADESH, PostalCode=284003, Phone=68107b5e6ff19f407186a21e5cd3feb8d1e48b8a8d7eba310a0190fd3cd752c, O=Personal, C=IN

डा० वंदना शर्मा
शिक्षा निदेशक (उ0शि0) उ0प्र0,
प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या : डिग्री अर्थ-1 (आयोग)//288-297/ उसी तिथि को।

उपर्युक्त संस्तुति पत्र की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग- 05, लखनऊ ।
2. प्राचार्य, (कालेज का नाम एवं पता-SNATKOTTAR MAHAVIDYALAYA MALIKPURA GHAZIPUR)।
3. संबंधित अभ्यर्थी को इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि इस पत्र की प्राप्ति के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करें तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को भी दें ।
4. संस्तुति-पत्र, संबंधित महाविद्यालय के प्रबन्धक/प्राचार्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से अभ्यर्थी के आवेदन पत्र की मूल प्रति प्राप्त कर अभ्यर्थी को नियमानुसार नियुक्ति-पत्र निर्गत करते हुए तुरन्त कार्यभार ग्रहण कराये ।
5. - प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी उक्त नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है और ऐसी दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा ।
5. - क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, -VARANASI को इस आशय के साथ प्रेषित कि आयोग द्वारा निदेशालय को उपलब्ध कराये गये संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन की प्रति को संबंधित प्रबन्धक/प्राचार्य को तत्काल उपलब्ध कराते हुए कार्य भार ग्रहण कराना (औपबन्धिक अभ्यर्थियों को छोड़ कर) सुनिश्चित करायें ।
7. - औपबन्धिक अभ्यर्थियों का औपबन्धन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा समाप्त होने के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण कराया जाय ।
8. - सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
9. - संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

भवदीय,

DIGITAL SIGNED BY
CN=Rajiv Pandey, SERIALNUMBER=786e5db24d427f09ccf48875 1af94804ec825d0227ec0425093d0074a088ba5e, OID.2.5.4.45=7034a0065383831323363363566313334636238356235396139373730656461376338383864666338306432666136653430306663653962313631336138643165656432, OID.2.5.4.65=b1777dd728514cdfa160273ca33f4cc6, S=Uttar Pradesh, PostalCode=250001, Phone=765d/81d8907b8221812d5ea44dcd7dda13b6179a118cf92dab9ae06a040be20, O=Personal, C=IN

डा० राजीव पाण्डेय
संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0)उ0प्र0,
प्रयागराज।

नोट- यह संस्तुति-पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से युक्त व मान्य है ।

Scanned by CamScanner